1- बचत खाते पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर (दैनिक आधार पर) एक लाख से कम से अधिक जमा शेष पर)

व्यापारिक साख सीमा (व्यक्तिगत ऋण)

1. व्यक्तिगत ट्रैडर्स को साख सीमा ऋण व्यक्तिगत फर्म साझेदारी संस्था, कम्पनी को इनके संविधान अंतर्गत ऋण की रीति नीति की पालना में नियमानुसार कार्यशील पूंजी व आयकर लेखे वार्षिक टर्नओवर के 15 प्रतिशत अनुपात में ऋण की अल्पावधि साख सीमा स्वीकृत की जाती है।

2- <u>अन्य तकनीकी/व्यावसायिक शिखा हेतु ऋण :-</u>

ज्ञान सागर ऋण योजना में ग्रामीण/शहरी छात्र/छात्राओं को व्यावसायिक/तकनीकी पाठयक्रमों में प्रवेश लेने पर अभिभावक को अथवा स्वयं को वित्तीय सुविधा करवाने व उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु सहायता करने के उद्वेश्य से ऋण दिया जाता है।

भारतीय नागरिक को आयु 18 से 30 वर्ष के मध्य अधिकतम आयु 55 वर्ष होगी।

ऋण की सीमा 6.00 लाख अधिकतम 10.00 होगी ब्याज की दर बैंक द्वारा लागू समय-समय पर प्रचलित अनुसार होगी।

3- <u>जन मंगल आवास ऋण योजना :-</u>

आवास, वाणिज्यिक परिसर क्रय करने, निर्माण कराने/परिवर्तन, परिवर्धन, मरम्मत इत्यादि कार्य हेतु अजमेर जिले के स्थाई निवासी नागरिको को आवास योजना में ऋण दिया जा सकता है।

सरकारी/अर्द्व सरकारी/स्वायतशाषी संस्था/सार्वजनिक कम्पनी के स्थाई कर्मचारी/ वेतन भोगी कर्मचारियों की आयु सीमा 50 वर्ष तक हो तो ऋण दिया जा सकता है।

अधिकतम ऋण की सीमा योजनानुसार 25 वर्ष तक सहऋणी को भी आवास ऋण सुविधा, आवास निर्माण का भुगतान चार किश्तो में सत्यापन अनुसार किया जा सकेगा।

4- <u>अचत सम्पति विरूद्व बंधक ऋण</u>

अजमेर जिले के स्थाई नागरिकों जिनके नाम स्वयं के नाम सम्पति हो को सम्पति के मूल्य का 50 प्रतिशत ऋण राशि देय योजना की अवधि न्यूनतम 5 वर्ष अधिकतम 9 वर्ष होगी, ब्याज की दरें लागू दरों अनुसार आयकर लेखें, पेन कार्ड, आधार कार्ड व स्पष्ट स्वामित्व की सम्पति अनुसार देय ऋण की राशि 5.00 लाख से 15.00 लाख तक

5- <u>सहकार स्व रोजगार योजना :-</u>

जिले के ग्रामीण नागरिकों को व्यवसाय मे बढोत्तरी करने, व्यवसाय को चालू रखने, आयकर लेखे अथवा आय व्यय के आधार पर प्राप्त संतुलन चित्र की पूंजी अनुसार अधिकतम 0.50 लाख ऋण देय ऋण की अवधि 5 वर्ष साख सीमा/टर्म ऋण चुकाने की सुविधा ऋण की अवधि तीन वर्ष होगी।

6- <u>स्वयं सहायता समूहों को ऋण :-</u>

जिले के कार्यरत स्वयं सहायता महिला समूहों को उनकी जमा बचत शेष का चार गुना तक ऋण सुविधा देय है। समूहों की कार्य प्रणाली की ग्रेडिंग के आधार पर नियमित समूहों को ऋण सुविधा ऋण सीमा राशि 0.50 लाख से 5.00 लाख तक देय ।

7- <u>किसान क्रेडिट कार्ड :-</u>

जिले के किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को अल्पकालीन ऋण मौसमी साख सीमा स्वीकृति के आधार पर खरीफ/रबी फसल हेतु ऋण दिया जाता है जिसकी अवधि 12 माह है। किसानो को ऋण सुविधा रूपे कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उपलब्ध है।